न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 139/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. सुरेन्द कौर पत्नि रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शेर खांनवाला, मघाणिया तहसील बुढलाढा जिला मानसा (पंजाब) हाल आबाद खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– वादीया

बनाम

1. रणवीर सिह पुत्र मलकीत सिंह – **फौत**

1/1 परविन्द कौर पुत्री रणवीर सिंह पत्नि प्रभजीत सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

1/2 गगनदीप कौर पुत्री रणवीर सिंह पत्नि सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

1/3 गुरजोत सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

1/4 संदीप कौर पुत्री रणवीर सिंह पत्नि हरमनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री जगनन्दन सिह वकील वादीया
2. श्री अमनदीप सिह– वकील प्रति सं. 1/1 ता 1/4
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया– प्रति.संख्या 2

निर्णय दिनांक :– 31.5.2024

अधिवक्ता वादीया द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 26 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 113/109 प0न0 103/160 मु0न0 30 कि0न0 5/1 में 0.202 हैक्टर नहरी, कि0न0 5/2 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, कि0न0 6/1 में 0.228 हैक्टर नहरी, कि0न0 6/2 में 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल क्षेत्रफल 0.506 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता आराजी प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।यह कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यू उपरान्त विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 ने अपना हक मौखिक रूप से वादीया के पक्ष में त्याग रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यू उपरान्त वादीया को फैमिली सेटलमेन्ट व घरू बंटवारा अनुसार निम्न आराजी प्राप्त हुयी है कि वादीया चक 26 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 113/109 प0न0 103/160 मु0न0 30 कि0न0 5/1 में 0.202 हैक्टर नहरी, कि0न0 5/2 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, कि0न0 6/1 में 0.228 हैक्टर नहरी, कि0न0 6/2 में 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल क्षेत्रफल [illegible] हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता तमाम आराजी मुताबिक बंटवारा कब्जा काश्त में आई [illegible] है। यह कि वादीया ने अरसा पूर्व रास्ता खाला, सिंचाई एवं काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा [illegible] लिया था तथा वादीया उसी बंटवारा अनुसार बिना किसी विघन के लगातार अपने अपने हक व हिस्सा में आई कब्जा काश्त की आराजी पर ऐलानियां तौर पर काबिज है व काश्त करती आ रही है [illegible] वादीया ने अपने हक व हिस्सा मे आई कब्जा काश्त की आराजी को काफी धन व मेहनत कर उपजाउ योग्य भूमि बनाई है। इसलिए वादीया अपने हक व हिस्सा में आई कब्जा काश्त की आराजी का अपने नाम घोषणा करवाकर खाता अलग से कायम करवाने की काननून हकदार व अधिकारी है।यह कि

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 09:56:44
Reason: SelfAttested

तिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 ने उक्त आराजी वादीया के हक में छोड दी है। जिसमे उक्त रकबा दीया के नाम दर्ज न होने के कारण पानी की बारी रेवेन्यु व मुआवजा राशि को लेकर विवाद बना हता है तथा आपस में मुकदमाबाजी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वादीया मुताबिक घरू टवारा अपने अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त की आराजी का अपने अपने नाम घोषणा करवा कर अलग से खाता कायम करवाकर पानी बारी रेवेन्यु अपने नाम से करवाने की हकदार व अधिकारी है। यह कि मुताबिक घरू बंटवारा के वादीया अपने अपने हक व हिस्सा में आई कब्जा काश्त की उक्त वर्णित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की हकदार व कानूनी अधिकारी है।यह कि वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 से कई बार मौखिक तकाजा किया कि मुताबिक बंटवारा वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा देवें व घरू बंटवारा के वादीया के हक व हिस्सा में आई कब्जा काश्त की आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम अमल दरामद करवा देवे तो उक्त प्रतिवादीगण आज कल आज कल कर टाल मटोल करते रहे और समय निकालते रहे तो वादीया ने आज से दो रोज पूर्व 26 एएमपी में पंचायत कर उक्त प्रतिवादीगण से उक्त बात कही तो उक्त प्रतिवादीगण पंचायत के लोगो के सामने मुताबिक बंटवारा खातेदार मानने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने से स्पष्ट इंकार हो गए और कहने लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नही मानते और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के ब्यान करते है, तुम्हे जो करना है कर लो, बस यही बिनाय दावा है, जो वादीया को अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है।

लिहाजा वाद वादीया मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 26 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 113/109 प0न0 103/160 मु0न0 30 कि0न0 5/1 में 0.202 हैक्टर नहरी, कि0न0 5/2 में 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, कि0न0 6/1 में 0.228 हैक्टर नहरी, कि0न0 6/2 में 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल क्षेत्रफल 0.506 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता तमाम आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इस हद तक रणवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया सुरेन्द्र कौर ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना [illegible] प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने चक 26 एएमपी खाता संख्या 113/109 जमाब[illegible] 2073–2076 प्रदर्श–1 करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में व[illegible] चक 26 एएमपी खाता संख्या 113/109 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 [illegible] जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है तथा वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 09:56:44
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं रणवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह के नारिस्यान है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 26 एएमपी खाता संख्या 113/109 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में रणवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपना समस्त हक/हिस्सा का परित्याग वादीया के पक्ष में कर दिया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीया के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुके है। परिणाम स्वरूप वाद वादीया मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि– मृतक रणवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह के नाम चक 26 एएमपी खाता संख्या 113/109 में 0.506 हेक्टर नहरी मय गैरमुमकिन दर्ज आराजी का वादीया सुरेन्द्र कौर पत्नी रणवीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रणवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.06.18 09:56:44 I
Reason: SelfAttested